


17/11/25 पडावली पैरा इई। आधिवक्ता जागी  
व रिजागी सं. 02 व आधिवक्ता 34.  
जागी का मूल वाद करिये 'not proved'  
खरीद किया गया है अतः इस  
आवेदन की आगे चलाने का  
बुद्धि माँचिय नहीं है आवेदन  
खरीद किया जाना है।  
पडावली केंद्रल अन्तर ईकर  
दामिल इक्तर है।

*Bevy  
कायदा*

  
सहायक कलेक्टर  
(जास्ट ट्रेक) बाडमेर